तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/4542/2003/अजमेर** **राजस्थान सरकार बनाम प्रतालिया**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :
श्री जानी सिंह, उप राजकीय अधिवक्ता।
अप्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

—

आदेश

दिनांकः— 07.05.2026

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 27.08.2003 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया है ।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी तहसीलदार, केकड़ी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय का पेश किया कि ग्राम बधेरा के खसरा संख्या 1274 किस्म नदी की भूमि का इन्द्राज गैर कानूनी रूप से अप्रार्थीगण के नाम हो जाने से इस इन्द्राज को निरस्त कर पुनः इस भूमि को नदी के रूप में दर्ज करने का निवेदन किया। क्योंकि उक्त भूमि पूर्व रिकार्ड अनुसार गै0मु0 नदी के रूप में राजकीय खाते में दर्ज थी तथा वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो अवैध है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते है तथा यह भूमि राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 के अंतर्गत आवंटन/नियमन के योग्य नहीं है। जिस पर न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रकरण को भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत परीक्षण करते हुये रेफरेन्स स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को पूर्ववत् किस्म पाल/नदी/नाला/तालाब के साथ रेफरेन्स मण्डल को अभिशंषित किया गया है।

विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि ग्राम बधेरा तहसील केकड़ी के खसरा संख्या 1274 रकबा 257–07–10 बीघा संवत् 1358 की भू–प्रबंध जमाबंदी में राजकीय खाते में नदी दर्ज है का संवत् 2022 में तहसील केकड़ी में भूमि एकीकरण का रिकार्ड तैयार किया जिसमें भूमि एकीकरण विभाग ने नदी की पेटा भूमि को गैर कानूनी एवं बिना क्षेत्राधिकार के पतला पुत्र रोडा के नाम दर्ज कर दी गई तथा वर्किंग जमाबंदी कार्यकारी जमाबंदी संवत् 2042 लागू हुई उससे भी पूर्ववत्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/4542/2003/अजमेर** **राजस्थान सरकार बनाम प्रतालिया**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकीकरण इन्द्राज बदस्तूर रख दिया गया। राज0काश्त0अधि0 की धारा 16 के तहत नदी की भूमि में किसी भी व्यक्ति को किसी रूप से खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते तथा इस प्रकार की प्रविष्ठि करने का अधिकार एकीकरण विभाग भू प्रबंध को नहीं है। इस प्रकार वर्तमान में उक्त विवादित आराजी खसरा संख्या 1274 जिसके हाल खसरा संख्या 4109 है, अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो अवैध है। अतः उक्त भूमि बाबत् अप्रार्थी के हक में दर्ज खातेदारी निरस्त की जाकर विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल हुआ है, को निरस्त किया जावें तथा भूमि को पुनः गैर मुमकिन नदी के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

हमनें उप राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया और अपर जिला कलक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

चूँकि राजस्व अभिलेख खतौनी फसली सन् 1950–51 के अनुसार विवादित आराजी का गै.मु. नदी राजकीय सिवायचक के रूप में दर्ज होना स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार पाल, नदी, नाले, तालाबी किस्म की भूमि में राजस्व विधियों के अन्तर्गत किसी को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं।

नदी, नला, तालाब, अंगोर, गोचर, पाल/पायतन, तलाई आदि किस्म की ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15–8–1947 की स्थिति को रिकार्ड अनुसार बहाल किया जाना आवश्यक है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (i) निम्न प्रकार हैः–

"4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-

(i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955;"

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 की उपधारा (ii) निम्न प्रकार हैः–

16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-

Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/4542/2003/अजमेर** **राजस्थान सरकार बनाम प्रतालिया**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

part of the State Khatedari rights shall not accrue in-

(ii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

उक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि जोहड़ मय पायतन, नदी/नाला/तालाब की भूमि अथवा नदी पेटा की भूमि की खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। इस प्रकार गैर मुमकिन श्रेणी जोहड़ मय पायतन, नाला, नदी, नाड़ी, तालाब आदि की भूमि ना तो आवंटन योग्य है और ना ही उसका किसी के नाम नियमन हो सकता है। अतः अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज विवादित आराजी विधिविरुद्ध है। पूर्व राजस्व रिकार्ड अनुसार विवादित भूमि की किस्म गै.मु.नदी खाता सरकार दर्ज है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी इंद्राज प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य एवं निरस्तनीय है।

परिणामतः न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 27.08.2003 के क्रम में मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम बधेरा तहसील केकड़ी में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1274 रकबा 257–07–10 बीघा किस्म गै0मु0 नदी राजकीय भूमि जिसके हाल खसरा संख्या 4109 रकबा 0.05 है0 भूमि का अप्रार्थी पतला पुत्र रोडा के नाम दर्ज किया गया आवंटन/पर दी गई खातेदारी एवं तत्पश्चात् स्वीकृत समस्त नामांतकरणों को निरस्त किया जाता है तथा विवादित आराजी को पूर्वानुसार सिवायचक दर्ज कर उसकी किस्म गै0मु0 नदी के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य